न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 756/ 2019

1 मन्जु पुत्री साजनराम पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी काला टिब्बा तहसील अबोहर जिल फाजिल्का (पंजाब)

2 माया देवी पुत्री साजनराम पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी काला टिब्बा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

वादीगण

बनाम

1 साजनराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी उम्मेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 27.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 15 के आर डब्लयू जमाबंदी समवत 2070–2073 खाता संख्या 43/38 प.न. 73/136 मु.न. 2 कि. न. 23 में 0.253 है. बारानी, प.न. 73/137 मु.न. 3 कि.न. 2 ता 9,12 ता 15 में 3.036 है. बारानी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 71/137 मु.न. 5 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11, 12 में 1. 518 है. नहरी मय गे.मु. रासता कुल खाता 4.807 है. नहरी बारानी मय गै.मु. रासता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.518 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।वादीगण प्रतिवादी संखय 1 की पुत्रीयां है एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त आराजी के अलावा उम्मेवाला में भी 10 बीघा आराजी दर्ज कागजात माल है जो कि वादीगण के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही है, वादाधीन आराजी सहदायिकी समपति है एव वादीगण एव प्रतिवादी संख्या1 के मध्य वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूका है एव मुताबिक बंटवारा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज वादाधीन दावा की मद संख्या 2 मे दर्ज आराजी प्राप्त हुयी है एव वादीगण ही अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को ब.हि.ब. काबिज होकर काश्त करती आ रही है। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की दावा की मद संख्या 2 में दर्ज वादाधीन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी वादीगण के नाम मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को प्रतिवादी के द्वारा हमेशा बेदखल किये जाने का अंदेशा लगा रहता है जिस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने मे असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के कानूनन हक अधिकारी है। वादीगण ने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे लोग वादीगण को सहमति के आधार पर वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी का खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकरआराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्जकागजात करवा देवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 20.08.2019 को बमुकाम चक 15 के आर डब्लयू में वादीगण की बात मानने से स्पष्ट रूप से ईन्कारकर दिया बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि चक 15 के आर डब्लयू जमाबंदी समवत 2070–2073 खाता संख्या 43/38 प.न. 73/136 मु.न. 2 कि.न. 23 में 0.253 है. बारानी, प.न. 73/137 मु.न. 3 कि.न. 2 ता 9,12 ता 15 में 3.036 है. बारानी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 71/137 मु.न. 5 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11, 12 में 1.518 है. नहरी मय गे.मु. रासता कुल खाता 4.807 है. नहरी बारानी मय गै.मु. रासता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.518 है. आराजी मे वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादी के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है, वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव उक्त आराजी के अलावा भी प्रतिवादी के पास अन्य खातों में आराजी है जिसका बंटवारा होकर एव अपने अपने हक हिस्सा में होना सभी पक्षकारान ने स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव वादीगण के कथनों के सम्बध में प्रतिवादी ने कोई विरोध नही किया है,व प्रतिवादी संख्या 1 के केवल दो पुत्रीयां ही है पुत्र नही है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 15 के आर डब्लयू जमाबंदी समवत 2070–2073 खाता संख्या 43/38 प.न. 73/136 मु.न. 2 कि.न. 23 में 0.253 है. बारानी, प.न. 73/137 मु.न. 3 कि.न. 2 ता 9,12 ता 15 में 3.036 है. बारानी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 71/137 मु.न. 5 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11, 12 में 1.518 है. नहरी मय गे.मु. रासता कुल खाता 4.807 है. नहरी बारानी मय गै.मु. रासता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.518 है. आराजी मे वादीगण संख्या 1 व 2 को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

27.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 756/ 2019

1 मन्जु पुत्री साजनराम पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी काला टिब्बा तहसील अबोहर जिल फाजिल्का (पंजाब)

2 माया देवी पुत्री सांजनराम पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी काला टिब्बा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) वादीगण

बनाम

1 साजनराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी उम्मेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 15 के आर डब्लयू जमाबंदी समवत 2070–2073 खाता संख्या 43/38 प.न. 73/136 मु.न. 2 कि.न. 23 में 0.253 है. बारानी, प.न. 73/137 मु.न. 3 कि.न. 2 ता 9,12 ता 15 में 3.036 है. बारानी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 71/137 मु.न. 5 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11, 12 में 1.518 है. नहरी मय गे.मु. रासता कुल खाता 4.807 है. नहरी बारानी मय गै.मु. रासता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.518 है. आराजी मे वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.1.2020 को जारी किया गया।

27.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.05 17:11:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: